



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 19.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 04 शातिर गोकशों को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 19.11.20 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा तथा गोकशी कारित करने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए।

विवरण अभियुक्तगण-

- नन्हू उर्फ इकलाख पुत्र इस्लाम
- महबूद उर्फ राजू पुत्र गुलजार खां
- आसिब उर्फ लल्ला पुत्र शमशाद
- अकरम पुत्र असलम सर्व नि0गण रसूलपुर थाना मोहम्मदी खीरी

विवरण बरामदगी-

- 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद रामपुरी चाकू
- छुरी, कुल्हाड़ी आदि

शातिर गैंगस्टर मनीराम उर्फ मन्नी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, 27 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की गई जब्त



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरन्तर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 19.11.20 को थाना धौरहरा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी मनीराम उर्फ मन्नी पुत्र हरद्वारी नि0 गुदरिया थाना धौरहरा खीरी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान अभियुक्त मनीराम द्वारा अपराध से अर्जित की गई 27 लाख रु0 से अधिक की सम्पत्ति जब्त की गई है। जिसमें 02 मंजिला मकान तथा 0.283 हेक्टेयर भूमि आदि शामिल है।

यातायात माह, नवम्बर-2020 के दृष्टिगत यातायात जागरूकता अभियान



यातायात माह" नवंबर-2020 के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने एवं उनका पालन करने हेतु प्रेरित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 19-11-20 को टीएसआई खीरी एवं यातायात पुलिस द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कन्या इण्टर कॉलेज, भीखमपुर व पं० दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कॉलेज, लखीमपुर में यातायात जागरूकता कैंप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, तथा स्वयं इसका पालन करने व परिवार के लोगों से भी जानकारी को साझा कर पालन करने हेतु जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही जनपद के पिकअप, ऑटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर पंपलेट वितरित किये गए तथा सभी को सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाई गई।

थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध 500 नशीली टेबलेट (AFRAZOLAM) सहित प्रीमत सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रीमत सिंह पुत्र अरुण सिंह उर्फ रागे सिंह नि० नानकपुर थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 अदद नशीली टेबलेट afrazolam बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 844/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित रामदयाल को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रामदयाल पुत्र जोखे पाली नि० इलाप थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 605/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 384/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त प्रमोद पुत्र गोकुल नि0 बडखेडा थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 540/10 धारा 323/325 भादवि में वारंटी अभियुक्त जानिक पुत्र राघव नि0 पडरिया थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 472/13 धारा 419/420 भादवि में वारंटी अभियुक्त सुन्दरलाल पुत्र रामप्रसाद नि0 पोखनापुर थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 3044/16 धारा 323/504/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त दिनेश पुत्र सुन्दरलाल नि0 खानपुर थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 362/20 धारा 13 जुआ अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त गुड्डू उर्फ इरशाद पुत्र असगर खां नि0 नगरा सण्डिलवा थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 415/20 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि0 व 3(2)V एससी एसटी एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. राममोहन पुत्र सुशील कुमार रूपराम पुत्र जदुनाथ 3. श्यामू उर्फ श्याम मनोहर पुत्र सुशील कुमार नि0गण करनपुर थाना नीमगांव खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **652 लीटर अवैध कच्ची, 12 शराब भट्टी बरामद कर 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मैलानी	210 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना गोला	170 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना फूलबेहड़	50 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना निघासन	45 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना धौरहरा	40 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मितौली	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना नीमगांव	25 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना पलिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना कोतवाली सदर	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
11.	थाना संपूर्णानगर	12 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
12.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
13.	थाना मैगलगंज	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	652 लीटर	32 अभियुक्त गिरफ्तार